रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

संख्या 385 /अभि.अनु./राविप्रा/2010–11/2010 दिनांक 05.06.2010

अल्पकालिक निविदा सूचना

केन्द्रीय /राज्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/प्राइवेट सेक्टर के विभागों में ए श्रेणी अथवा वह श्रेणी जिसमें ठेकेदार 35 करोड़ तक के कार्य के लिए अधिकृत हों, के पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न कार्यों हेतु दिनांक 16.6.2010 को अपरान्ह 3.00 बजे तक सील बंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें दो प्रथक–प्रथक लिफाफों में टैंक्निकल बिड एवं वित्तीय बिड के रूप में प्राधिकरण में जमा करनी होंगी। सर्वप्रथम टैक्निकल बिड निविदा समिति के समक्ष दिनांक 16.6.2010 को अपरान्ह 3.30 बजे खोली जायेंगी। तत्पश्चात टैक्निकल बिड में सफल निविदादाओं की वित्तीय बिड निविदा समिति के समक्ष उसी दिन खोली जावेंगी। निविदा प्रपत्र प्राधिकरण के अभियंत्रण विभाग से दिनांक 14 व 15 जून,2010 को अपरान्ह 4.00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। अन्य विवरण निम्नवत हैः–

क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	प्रतिभूति की धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0	निविदा वैधता अवधि	कार्य समाप्ति की अवधि	ठेकेदार का पंजीकरण
1	मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत परशदेपुर टाउन एरिया में 1000 भवनों(चार मंजिले) का निर्माण कार्य।	2059.00	42.00	5000/–	3 माह	8 माह	ए श्रेणी अथवा वह श्रेणीजिसमें ठेकेदार रू0 35.00 करोड़ तक के कार्य के लिए सरकारी/अर्द्ध सरकारी/पब्लिक सेक्टर के विभाग में पंजीकृत हों।
2	मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत डलमऊ टाउन एरिया में 500 भवनों(चार मंजिले) का निर्माण कार्य।	1030.00	21.00	5000/–	3 माह	8 माह	

शर्तेः–

1. समस्त कार्य की निविदा हेतु उपवर्णित धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/डाकघर बचत बैंक पास बुक/एफ0डी0आर0 जो रायबरेली विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक हों, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. ठेकेदारों से सम्पूर्ण धरोहर धनराषि पहले रू0 40.00 लाख पर 10 प्रतिशत व उससे अधिक की धनराशि पर 5 प्रतिशत की दर से वसूल की जायेगी, जो कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में 12 माह की अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के बाद वापस कर दी जायेगी। यह धनराषि अनुबन्ध सम्पादित करने से पूर्व प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
3. प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत कर देने का अधिकार उपाध्यक्ष, रायबरेली विकास प्राधिकरण में सुरक्षित रहेगा।
4. निविदा की दर को शब्दों तथा अंकों में स्प्ष्ट रूप में भरा जायेगा तथा कोई भी कटिंग व ओवर राइटिंग न की जायेगी अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
5. निविदा की स्वीकृति प्राप्त करने वाले ठेकेदार को 15 दिन के अन्दर स्पष्ट रूप से कान्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना होगा।
6. केवल मोहरबन्द निविदा ही मान्य होगी। बगैर मोहरबन्द निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. निविदा की दरें स्याही से अंकित करनी होगी तथा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ठेकेदार को अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने होंगे।
8. ठेकेदार द्वारा निविदा में दरें उसी विधि से भरी जायेंगी जिस विधि से निविदा प्रपत्र में मांगी गयी हैं।
9. निविदा प्रपत्र पर जो पता ठेकेदार द्वारा अंकित किया जायेगा वही पता पत्राचार हेतु मान्य होगा।
10. ठेकेदार द्वारा उक्त शर्तों के साथ निविदा प्रपत्रों उल्लिखित अन्य शर्तों तथा विशेष शर्तों का अनुपालन भी अक्षरशः करना होगा। ऐसा न होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. प्रत्येक निविदा के साथ अलग से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी, दूसरी निविदा के साथ लगी जमानत धनराशि मान्य न होगी।
12. प्रत्येक कार्य की निविदा के लिफाफे पर कार्य का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होगा।
13. सभी साधारण एवं विशेष शर्तो/नियमों का पालन न होने पर निविदा मान्य न होगी।
14. निविदा प्रपत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र/हैसयित प्रमाण पत्र व पिछले पांच साल का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
15. उपरोक्त कार्य हेतु निविदादाता को कम से कम 5 वर्ष का समान प्रकृति के कार्य (आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर) का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
16. भवनों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
17. कार्य का विभक्तीकरण भी किया जा सकता है।
18. भवनों के स्थल में भी परिवर्तन किया जा सकता है।
19. निविदादाता की नेटवर्थ कार्य की धनराशि का कम से कम 25 प्रतिशत होनी चाहिए।
20. ठेकेदार को टेक्निकल /पर्यवेक्षीय स्टाफ का विवरण देना होगा।
21. ठेकेदार को मशीनरी/टूल/प्लांट का विवरण देना होगा।
22. अन्य शर्तों का विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्रों के साथ उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें टेक्निकल बिड का विवरण भी सम्मिलित होगा।
23. अपूर्ण त्रुटिपूर्ण निविदा प्रपत्र तथा मिथ्या सूचना अंकित करने पर निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

ह0/–
(डा0 चरनजीत सिंह बक्षी)
उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>
<u>प्रतिलिपिः– निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1. कार्यालय जिलाधिकारी,रायबरेली/लोक निर्माण विभाग/जिला पंचायत/न0पा0प0/ ग्रामीण अभि0 सेवाएं/विकास प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. विज्ञापन व्यवस्थापक टाइम्स ऑफ इण्डिया, लखनऊ संस्करण/दैनिक जागरण लखनऊ संस्करण/लखनऊ मेल, रायबरेली उपरोक्त निविदा सूचना समचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाषनार्थ एवं प्रकाषनोपरान्त भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने हेतु।
3. सहायक निदेषक, सिस्टम को आवास बन्धु की वेबसाइट पर प्रकाषन हेतु।
4. प्रभारी अधिकारी जिला सूचना विज्ञान केन्द्र रायबरेली की वेबसाइट पर प्रकाषन हेतु।
5. कम्पयूटर आपरेटर को रा0वि0प्रा0 की वेबसाइट पर प्रकाषन हेतु।

ह0/–
उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी